केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली– 110 067

CIC/AA/A/2020/71
CICOM/A/P/20/00032
CICOM/R/P/2020/00085

अपीलकर्ता का नाम: श्री राजेश शर्मा

ए–1, ब्लॉक 14/3ए
पोस्ट–तवानगर, तहसील–इटारसी,
जिला–होशंगाबाद, मध्य प्रदेश।

पिन–461 551

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.12.2019
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	10.02.2020
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री एच0 पी0 सेन, डी0 आर0, सू0 आ0–डी0पी0, सीआईसी।
3.	प्रथम अपील की तिथि	20.02.2020
5.	निर्णय की तिथि	17.03.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि उनके केस संख्या CIC/RM/A/2014/000851+004210-ABकी सुनवाई दिनांक 12.08.2016 को आयोग द्वारा की गयी थी, निम्न सूचना/दस्तावेजों की प्रतियों की मांग की थी:

1. केन्द्रीय प्रूफ संस्थान इटारसी द्वारा जो दस्तावेज आयोग में दिये गए थे, उन सभी की सत्यापित छाया प्रति प्रदान करें।
2. केन्द्रीय प्रूफ संस्थान इटारसी द्वारा दिये गए समस्त दस्तावेजों की आयोग द्वारा स्वयं सत्यापित करके दिये जायें।

सीपीआईओ का जवाब:-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में श्री एच0 पी0 सेन, डी0आर0, सू0आ0–डी0पी0, सीआईसी ने प्रार्थी को सूचित किया कि,

> "आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में सीपीआईओ, सेन्ट्रल प्रूफ एस्टेब्लिसमेंट, इटारसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां, जैसा कि फाईल संख्या CIC/RM/A/2014/000851+004210-AB में उपलब्ध हैं, संलग्न हैं।"

प्रथम अपील का आधार:-

3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री एच0 पी0 सेन, डी0आर0, सू0आ0–डी0पी0, सीआईसी के जवाब से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है, जिसमें प्रार्थी की शिकायत यह है कि, –

"आयोग द्वारा दिनांक 10.02.2020 के पत्र (संख्या CICOM/R/P/2020/00085) दिनांक 06. 02.2020 में मेरे द्वारा केस (28.05.2013) में लगाये गए दस्तावेजों को आयोग द्वारा दिया गया है, जिसमें मेरे हस्ताक्षर नीचे हैं, जबकि मैने श्रीमान अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा 12.08.2016 के आर्डर (CIC/RM/A/2014/000851+004210-AB) के बाद जो दस्तावेज केन्द्रीय प्रूफ संस्थान, इटारसी (म.प्र.) में कर्नल अमित शर्मा द्वारा 17 सितम्बर, 2016 को उम्मीद्वारों के रोजगार पंजीयन, आवेदन, योग्यता समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रति मांगी थी।"

निर्णय :-

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा द्वितीय अपील सं. CIC/RM/A/2014/000851+004210-AB के संदर्भ में Central Proof Establishment इटारसी द्वारा आयोग को प्रेषित किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ अपीलकर्ता को उपलब्ध करवा दी गई हैं । अतः प्रस्तुत संदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथमार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक: मार्च 17, 2020

मीनाशर्मा 17/3/2020

(मीना बी0 शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष:26162290

27/3/20

प्रतिलिपि:-

1. **सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नईदिल्ली।**
2. **श्री एच0 पी0 सेन, डी0आर0, सू0आ0–डी0पी0, सीआईसी, नईदिल्ली।**

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
23 MAR 2020
D. No.........
Initials.........